[2020] 2 उम. नि. प. 368

सुरिन्दर कुमार

बनाम

पंजाब राज्य

[2019 की दांडिक अपील सं. 512]

6 जनवरी, 2020

न्यायमूति एन. वी. रमना, न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 50 और 18 – तलाशी – अभियुक्त के कब्जे से अवैध अफीम की बरामदगी – तलाशी स्वतंत्र साक्षी की मौजूदगी में न लिया जाना – केवल शासकीय साक्षियों (पुलिस पदधारियों) के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया जाना – जहां अभियुक्त की तलाशी सक्षम अधिकारी की मौजूदगी में ली गई हो और उसके कब्जे से अवैध अफीम की बरामदगी हुई हो और अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त की दोषिता को साबित कर दिया गया हो, वहां केवल स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा न कराए जाने और मात्र शासकीय साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर की गई दोषसिद्धि को अन्यायोचित नहीं कहा जा सकता है ।

इस मामले के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि तारीख 12 सितंबर, 1996 को कुछ पुलिस पदधारी एक प्राइवेट जीप में गश्त ड्यूटी पर दलबीर खेड़ा से वरियम खेड़ा जा रहे थे और जब वे छोटी नहर के पुल के निकट पहुंचे तो अपीलार्थी-अभियुक्त को अपने दाएं हाथ में एक थैला लिए हुए विपरीत दिशा से आते हुए देखा । पुलिस दल को देखकर अपीलार्थी-अभियुक्त नहर के दक्षिणी किनारे की ओर मुड़ा । किंतु उसे संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया । अभियुक्त द्वारा लिए हुए थैले की सहायक पुलिस आयुक्त, अबोहर, जिसे विधि के उपबंधों के अनुसार घटनास्थल पर बुलाया गया था, की मौजूदगी में तलाशी ली गई, जिसके

परिणामस्वरूप 1 किलो 750 ग्राम अफीम की बरामदगी हुई । अभिग्रहण के उपरांत 10-10 ग्राम के दो नमूने अलग किए गए और शेष अफीम उसी थैले में डाल दी गई । नमूनों को सम्यक् रूप से मुहरबंद किया गया और कब्जे में लिए गए । उसके पश्चात् पुलिस थाने में रुक्का भेजा गया, जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् उसका चालान किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध अधिनियम की धारा 18 के अधीन आरोप विरचित किया गया, जिसके लिए उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विद्वान् विशेष न्यायाधीश, फिरोजपुर ने मौखिक और अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् अपने निर्णय द्वारा यह निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त द्वारा गांव दलबीर खेड़ा के क्षेत्र में 1 किलो 750 ग्राम अफीम अपने कब्जे में रखने के लिए अधिनियम की धारा 18 के अधीन अपराध के लिए उसकी दोषिता को साबित कर दिया है, अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया और उसे 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास और 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय से व्यथित होकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के समक्ष एक दांडिक अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी और विशेष न्यायाधीश, फिरोजपुर द्वारा पारित किए गए निर्णय और दंडादेश के आदेश की पुष्टि की । अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अपीलार्थी की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल के अनुसार, जोगिन्द्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक, जिसे योगी राज, थाना अधिकारी (अभि. सा. 3) ने मामला संपत्ति इलाका मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के लिए सौंपी थी और उसने इसे पेश करने के पश्चात् उसे

वापिस कर दी थी, की परीक्षा नहीं की गई थी, इसलिए, साक्ष्य की कड़ी अपूर्ण थी । इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि योगी राज, थाना अधिकारी ने मामला संपत्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए जोगिन्द्र सिंह, उप सहायक निरीक्षक को सौंपा था । न्यायालय के समक्ष मामला संपत्ति पेश करने के पश्चात् उसने मामला संपत्ति योगी राज, थाना अधिकारी (अभि. सा. 3) को अविकल मुहरों के साथ वापस कर दी थी । यह भी उल्लेखनीय है कि जोगिन्द्र सिंह, उप सहायक निरीक्षक के कब्जे में न तो अन्वेषण अधिकारी की और न ही योगी राज, थाना अधिकारी की मुद्रा थी । उसने न्यायालय के समक्ष मामला संपत्ति तारीख 13 सितंबर, 1996 को आवेदन प्रदर्श पी-13 द्वारा पेश की थी और संबंधित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामला संपत्ति की मुहरों का सत्यापन करने के पश्चात् इस आशय का आदेश, प्रदर्श पी-14 पारित किया था कि चूंकि अबोहर में कोई न्यायिक मालखाना नहीं है, इसलिए मामला संपत्ति को आगामी आदेशों तक पुलिस थाना, खुइयां सरवर में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए । चूंकि जोगिन्द्र सिंह, उप सहायक निरीक्षक के कब्जे में न तो थाना अधिकारी और न ही अन्वेषण अधिकारी की मुद्राएं थीं, इसलिए उसके द्वारा मामला संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करने का कतई कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है । इसके अतिरिक्त, उसने मामला संपत्ति को इसे इलाका मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के पश्चात् अविकल मुहरों के साथ योगी राज, थाना अधिकारी को वापस कर दिया था । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया है कि जोगिन्द्र सिंह की परीक्षा न किए जाने से किसी भी प्रकार से अभियोजन के पक्षकथन पर असर नहीं पड़ता है । इसके अतिरिक्त, रसायन परीक्षक की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि नमूना अविकल मुहरों के साथ प्राप्त हुआ था और नमूने पर मुहरों का मिलान नमूना मुहरों के साथ किया गया था । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण थी । विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री महाबीर सिंह की अगली दलील यह है कि सहायक पुलिस अधीक्षक, जिसे घटनास्थल पर बुलाया गया था और जिसकी मौजूदगी में तलाशी और बरामदगी की गई थी, की परीक्षा नहीं

की गई थी । इसलिए, यह दलील दी गई है कि सहायक पुलिस अधीक्षक की परीक्षा न किया जाना अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक है और इससे स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 50 का अतिक्रमण होता है । यह विनिर्दिष्ट रूप से अभिवाक् किया गया है कि सहायक पुलिस अधीक्षक, अबोहर को घटनास्थल पर बुलाया गया था और उसकी मौजूदगी में अभियुक्त के थैले की तलाशी ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 1 किलो 750 ग्राम अफीम की बरामदगी हुई थी । विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि अभिलेख के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि सहायक पुलिस अधीक्षक को कई बार बुलाया गया था, किंतु या तो समन की तामील नहीं हुई थी या जब उसे समन तामील किया गया था तो उसने विधिमान्य कारण देते हुए व्यक्तिगत हाजिरी से छूट के लिए अनुरोध भेजा । इसके अतिरिक्त, यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय को मामले की तारीख 30 अप्रैल, 1999 से पूर्व विनिश्चय करने के लिए निदेश जारी किए थे, क्योंकि एस. के. अस्थाना, सहायक पुलिस अधीक्षक की तारीख 30 अप्रैल, 1999 तक परीक्षा नहीं की गई थी, इसलिए विशेष न्यायाधीश फिरोजपुर द्वारा समय विस्तार का अनुरोध किया गया था और मामला तारीख 17 मई, 1999 के लिए स्थगित किया गया था । तारीख 17 मई, 1999 तक भी सहायक पुलिस अधीक्षक को समन तामील नहीं किया जा सका था, क्योंकि वह छुट्टी पर था । विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे कारणों को देखते हुए, केवल इस कारण कि एस. के. अस्थाना, सहायक पुलिस अधीक्षक की परीक्षा नहीं की गई थी, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को साबित करने में असफल रहा है । अभिलेख पर के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसे तलाशी और अभिग्रहण के समय बुलाया गया था और केवल उसकी मौजूदगी में तलाशी ली गई थी, इसलिए स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले ज्येष्ठ काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि किसी स्वतंत्र साक्षी की इस तथ्य के बावजूद

कि वे उपलब्ध थे, परीक्षा नहीं की गई थी । इस संबंध में, देवी लाल, हैड कांस्टेबल (अभि. सा. 1) के साक्ष्य से यह उल्लेखनीय है कि प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया था कि स्वतंत्र साक्षियों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया था, किंतु कोई स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध नहीं था । मात्र यह तथ्य कि अभियोजन का पक्षकथन शासकीय साक्षियों के साक्ष्य पर आधारित है, इसका यह अर्थ नहीं है कि ऐसे साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए । अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हम विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों से सहमत हैं । इस मामले में अभिलेख पर साक्ष्य से अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया है । (पैरा 10, 11, 12, 13, 14 और 17)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	(2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 170 : **वरिन्द्र कुमार** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ;	9, 16
[2018]	(2018) 17 एस. सी. सी. 627 : **मोहन लाल** बनाम **पंजाब राज्य** ;	8, 9, 16
[2011]	(2011) 3 एस. सी. सी. 521 : **जरनैल सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ;	9, 15
[2008]	(2008) 16 एस. सी. सी. 417 : **नूर आगाह** बनाम **पंजाब राज्य और एक अन्य** ;	8
[2006]	(2006) 10 एस. सी. सी. 681 : **त्रिमुख मरोती किरकन** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	8
[2001]	(2001) 1 एस. सी. सी. 652 : **राज्य, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार** बनाम **सुनील और एक अन्य** ।	15

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 512.

1999 की दांडिक अपील सं. 706-एसबी में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के तारीख 22 अप्रैल, 2008 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — सर्वश्री महाबीर सिंह, ज्येष्ठ अधिवक्ता, (सुश्री) प्रीति सिंह, डी. महेश बाबू, गगन दीप शर्मा, (सुश्री) स्वाति जिंदल और अमित के. नायर

प्रत्यर्थी की ओर से — सुश्री रंजीता रोहतगी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी ने दिया ।

न्या. रेड्डी – यह अपील एकमात्र अभियुक्त द्वारा 1999 की दांडिक अपील सं. 706-एसबी में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा तारीख 22 अप्रैल, 2008 को पारित किए गए निर्णय से व्यथित होकर फाइल की गई है ।

2. इस अपील में अपीलार्थी को विशेष न्यायाधीश, फिरोजपुर द्वारा तारीख 20 मई, 1999 द्वारा पारित किए गए निर्णय द्वारा स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 18 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था और 10 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भुगतने और 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था ।

3. संक्षेप में, अभियोजन का पक्षकथन यह है कि तारीख 12 सितंबर, 1996 को देवी लाल, हैड कांस्टेबल (अभि. सा. 1), दरबारा सिंह, उप निरीक्षक (अभि. सा. 2) अन्य पुलिस पदधारियों के साथ एक प्राइवेट जीप में गश्त ड्यूटी पर दलबीर खेड़ा से वरियम खेड़ा जा रहे थे और जब वे छोटी नहर के पुल के निकट पहुंचे तो अपीलार्थी-अभियुक्त को अपने दाएं हाथ में एक थैला लिए हुए विपरीत दिशा से आते हुए देखा । पुलिस दल को देखकर अपीलार्थी-अभियुक्त नहर के दक्षिणी किनारे की ओर

मुड़ा । किंतु उसे संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया । अभियुक्त द्वारा लिए हुए थैले की सहायक पुलिस आयुक्त, अबोहर, जिसे विधि के उपबंधों के अनुसार घटनास्थल पर बुलाया गया था, की मौजूदगी में तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप 1 किलो 750 ग्राम अफीम की बरामदगी हुई । अभिग्रहण के उपरांत 10-10 ग्राम के दो नमूने अलग किए गए और शेष अफीम उसी थैले में डाल दी गई । नमूनों को सम्यक् रूप से मुहरबंद किया गया और कब्जे में लिए गए । उसके पश्चात् पुलिस थाने में रुक्का भेजा गया, जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् उसका चालान किया गया । न्यायालय में उपसंजात होने पर अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिए गए दस्तावेज अभियुक्त को दिए गए । अभियुक्त के विरुद्ध अधिनियम की धारा 18 के अधीन आरोप विरचित किया गया, जिसके लिए उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

4. अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से चार साक्षियों अर्थात् देवी लाल, हैड कांस्टेबल (अभि. सा. 1), दरबारा सिंह, उप निरीक्षक (अभि. सा. 2), उप निरीक्षक (अभि. सा. 3) और श्याम लाल, कांस्टेबल (अभि. सा. 4) की परीक्षा की गई । साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया और उसे अभियोजन साक्ष्य में उसके विरुद्ध प्रतीत होने वाले अपराध में आलिप्त करने वाली सभी परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया । उसने मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया, तथापि, उसने अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया । विद्वान् विशेष न्यायाधीश, फिरोजपुर ने मौखिक और अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् 1999 के सेशन विचारण सं. 17 में तारीख 20 मई, 1999 के अपने निर्णय द्वारा यह निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त द्वारा गांव दलबीर खेड़ा के क्षेत्र में 1 किलो 750 ग्राम अफीम अपने कब्जे में रखने के लिए अधिनियम की धारा 18 के अधीन अपराध के लिए उसकी दोषिता को साबित कर दिया है, अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया और उसे 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास और 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए)

के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया ।

5. अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय से व्यथित होकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के समक्ष एक दांडिक अपील सं. 706-एसबी फाइल की । उच्च न्यायालय ने तारीख 22 अप्रैल, 2008 के आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी और विशेष न्यायाधीश, फिरोजपुर द्वारा तारीख 20 मई, 1999 को पारित किए गए निर्णय और दंडादेश के आदेश की पुष्टि की ।

6. हमने अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री महाबीर सिंह को सुना, जिनकी श्री डी. महेश बाबू, एडवोकेट ऑन रिकार्ड और प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल सुश्री रंजीता रोहतगी को सुना ।

7. इस अपील में, अपीलार्थी की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल द्वारा मुख्य रूप से यह दलील दी गई है कि श्री जोगिन्द्र सिंह, उप सहायक निरीक्षक, जिसे योगी राज, थाना अधिकारी (अभि. सा. 3) ने तारीख 13 सितंबर, 1996 को मामला संपत्ति सौंपी थी, की परीक्षा नहीं की गई थी, इसके बावजूद विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध करके गलती की है । इसके अतिरिक्त यह दलील दी गई है कि यद्यपि गस्ती दल में स्वतंत्र साक्षी थे, तो भी उन साक्षियों की परीक्षा नहीं की गई थी और दोषसिद्धि केवल शासकीय साक्षियों पर आधारित थी । यह भी दलील दी गई है कि एस. के. अस्थाना, सहायक पुलिस अधीक्षक, जिसने यह दावा किया है कि वह पुलिस दल में सम्मिलित हुआ था, की भी परीक्षा नहीं की गई थी और वास्तव में वह वहां नहीं था तथा अफीम की बरामदगी उसकी मौजूदगी में नहीं की गई थी । इस प्रकार यह भी अभिवाक् किया गया है कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 50 के उपबंधों का अतिक्रमण किया गया है ।

8. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने

अपनी दलीलों को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित निर्णयों का अवलंब लिया :–

(i) **त्रिमुख मरोती किरकन** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] ।

(ii) **नूर आगाह** बनाम **पंजाब राज्य और एक अन्य**[2] ।

(iii) **मोहन लाल** बनाम **पंजाब राज्य**[3] ।

9. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने तर्कपूर्ण साक्ष्य पेश करके मामले को साबित किया है, जिससे अभियुक्त की दोषिता युक्तियुक्त संदेह के परे साबित होती है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि केवल इस कारण कि अभियोजन पक्ष ने किसी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं की थी, इस बात से आवश्यक रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अपीलार्थी को मिथ्या रूप से फंसाया गया था । विद्वान् काउंसेल ने **जरनैल सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[4] वाले मामले में के निर्णय का अवलंब लिया । इसके अतिरिक्त **वरिन्द्र कुमार** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[5] वाले मामले में इस न्यायालय के हाल ही के निर्णय का भी अवलंब लिया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि **मोहन लाल** (उपर्युक्त) वाले मामले में अधिकथित की गई विधि से पूर्व लंबित सभी दांडिक अभियोजन, विचारण और अपीलें प्रत्येक मामले के तथ्यों द्वारा शासित की जानी जारी रहेंगी ।

10. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल के अनुसार, जोगिन्द्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक, जिसे योगी राज, थाना अधिकारी (अभि. सा. 3) ने मामला संपत्ति इलाका मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के लिए सौंपी थी और उसने इसे पेश करने के पश्चात् उसे वापिस कर

---

[1] (2006) 10 एस. सी. सी. 681.

[2] (2008) 16 एस. सी. सी. 417.

[3] (2018) 17 एस. सी. सी. 627.

[4] (2011) 3 एस. सी. सी. 521.

[5] (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 170.

दी थी, की परीक्षा नहीं की गई थी, इसलिए कड़ी साक्ष्य अपूर्ण था । इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि योगी राज, थाना अधिकारी ने मामला संपत्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए जोगिन्द्र सिंह, उप सहायक निरीक्षक को सौंपा था । न्यायालय के समक्ष मामला संपत्ति पेश करने के पश्चात् उसने मामला संपत्ति योगी राज, थाना अधिकारी (अभि. सा. 3) को अविकल मुहरों के साथ वापस कर दी थी । यह भी उल्लेखनीय है कि जोगिन्द्र सिंह, उप सहायक निरीक्षक के कब्जे में न तो अन्वेषण अधिकारी की और न ही योगी राज, थाना अधिकारी की मुद्रा थी । उसने न्यायालय के समक्ष मामला संपत्ति तारीख 13 सितंबर, 1996 को आवेदन प्रदर्श पी-13 द्वारा पेश की थी और संबंधित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामला संपत्ति की मुहरों का सत्यापन करने के पश्चात् इस आशय का आदेश, प्रदर्श पी-14 पारित किया था कि चूंकि अबोहर में कोई न्यायिक मालखाना नहीं है, इसलिए मामला संपत्ति को आगामी आदेशों तक पुलिस थाना, खुइयां सरवर में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए । चूंकि जोगिन्द्र सिंह, उप सहायक निरीक्षक के कब्जे में न तो थाना अधिकारी और न ही अन्वेषण अधिकारी की मुद्राएं थीं, इसलिए उसके द्वारा मामला संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करने का कतई कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

11. इसके अतिरिक्त, उसने मामला संपत्ति को इसे इलाका मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के पश्चात् अविकल मुहरों के साथ योगी राज, थाना अधिकारी को वापस कर दिया था । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया है कि जोगिन्द्र सिंह की परीक्षा न किए जाने से किसी भी प्रकार से अभियोजन के पक्षकथन पर असर नहीं पड़ता है । इसके अतिरिक्त, रसायन परीक्षक की रिपोर्ट, प्रदर्श पी-10 से यह स्पष्ट है कि नमूना अविकल मुहरों के साथ प्राप्त हुआ था और नमूने पर मुहरों का मिलान नमूना मुहरों के साथ किया गया था । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण थी ।

12. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री महाबीर सिंह की अगली दलील यह है कि सहायक पुलिस अधीक्षक, जिसे घटनास्थल पर बुलाया गया था और जिसकी मौजूदगी में तलाशी और बरामदगी की गई थी, की

परीक्षा नहीं की गई थी । इसलिए, यह दलील दी गई है कि सहायक पुलिस अधीक्षक की परीक्षा न किया जाना अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक है और इससे स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 50 का अतिक्रमण होता है ।

13. अभियोजन का यह विनिर्दिष्ट पक्षकथन है कि तारीख 12 सितंबर, 1996 को दरबारा सिंह, उप निरीक्षक (अभि. सा. 2) अन्य पुलिस पदधारियों के साथ एक प्राइवेट जीप में दलबीर खेड़ा-2 से वरयम खेड़ा की ओर जा रहे थे, जब वे छोटी नहर के पुल के निकट पहुंचे तो अपीलार्थी अभियुक्त को विपरीत दिशा से एक थैला लिए हुए आते देखा । यह अभिकथित है कि पुलिस दल को देखकर वह नहर के दक्षिणी किनारे की ओर मुड़ा, किंतु उसे संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया । यह विनिर्दिष्ट रूप से अभिवाक् किया गया है कि सहायक पुलिस अधीक्षक, अबोहर को घटनास्थल पर बुलाया गया था और उसकी मौजूदगी में अभियुक्त के थैले की तलाशी ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 1 किलो 750 ग्राम अफीम की बरामदगी हुई थी । विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि अभिलेख के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि सहायक पुलिस अधीक्षक को कई बार बुलाया गया था, किंतु या तो समन की तामील नहीं हुई थी या जब उसे समन तामील किया गया था तो उसने विधिमान्य कारण देते हुए व्यक्तिगत हाजिरी से छूट के लिए अनुरोध भेजा । इसके अतिरिक्त, यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय को मामले का तारीख 30 अप्रैल, 1999 से पूर्व विनिश्चय करने के लिए निदेश जारी किए थे, क्योंकि एस. के. अस्थाना, सहायक पुलिस अधीक्षक की तारीख 30 अप्रैल, 1999 तक परीक्षा नहीं की गई थी, इसलिए विशेष न्यायाधीश फिरोजपुर द्वारा समय विस्तार का अनुरोध किया गया था और मामला तारीख 17 मई, 1999 के लिए स्थगित किया गया था । तारीख 17 मई, 1999 तक भी सहायक पुलिस अधीक्षक को समन तामील नहीं किया जा सका था, क्योंकि वह छुट्टी पर था । विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे कारणों को देखते हुए, केवल इस कारण कि एस. के. अस्थाना, सहायक पुलिस अधीक्षक की परीक्षा नहीं की गई थी, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को साबित करने में असफल रहा है । अभिलेख पर के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसे तलाशी और

अभिग्रहण के समय बुलाया गया था और केवल उसकी मौजूदगी में तलाशी ली गई थी, इसलिए स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 50 का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है ।

14. इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले ज्येष्ठ काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि किसी स्वतंत्र साक्षी की इस तथ्य के बावजूद कि वे उपलब्ध थे, परीक्षा नहीं की गई थी । इस संबंध में, देवी लाल, हैड कांस्टेबल (अभि. सा. 1) के साक्ष्य से यह उल्लेखनीय है कि प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया था कि स्वतंत्र साक्षियों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया था, किंतु कोई स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध नहीं था । मात्र यह तथ्य कि अभियोजन का पक्षकथन शासकीय साक्षियों के साक्ष्य पर आधारित है, इसका यह अर्थ नहीं है कि ऐसे साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए ।

15. प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा अवलंब लिए गए **जरनैल सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** (उपर्युक्त) वाले मामले में के निर्णय से भी अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन होता है । पूर्वोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि केवल इस कारण कि अभियोजन पक्ष ने किसी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं की थी, इससे आवश्यक रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाया गया था । शासकीय साक्षियों के साक्ष्य को केवल उनकी शासकीय प्रास्थिति के कारण अविश्वसनीय और अविश्वासप्रद नहीं कहा जा सकता है । **राज्य, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार** बनाम **सुनील और एक अन्य**[1] वाले मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था :–

> "यह एक पुरानी धारणा है कि पुलिस अधिकारी के कार्यों पर आरंभ में अविश्वास किया जाना चाहिए । अब पुलिस के कार्यों और दिए गए दस्तावेजों पर कम से कम आरंभ में ही विश्वास करना शुरू करने का समय है । जो भी हो, न्यायालय इस उपधारणा से शुरुआत नहीं कर सकता है कि पुलिस के अभिलेख अविश्वसनीय हैं । विधि की उपधारणा के अनुसार, उपधारणा दूसरे प्रकार की हो जाएगी । पुलिस के शासकीय कार्य नियमित रूप से किए गए थे, यह उपधारणा का एक बुद्धिमान सिद्धांत है और यहां तक कि इसे

---

[1] (2001) 1 एस. सी. सी. 652.

विधान-मंडल द्वारा भी मान्यता दी गई है ।"

16. विद्वान् काउंसेल ने **मोहन लाल** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का भी अपने इस तर्क के समर्थन में अवलंब लिया है कि भेदिया और अन्वेषक एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता है । किंतु **वरिन्द्र कुमार** (उपर्युक्त) वाले मामले में के पश्चात्वर्ती निर्णय में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि **मोहन लाल** (उपर्युक्त) वाले मामले में अभिकथित विधि से पूर्व लंबित सभी दांडिक अभियोजन, विचारण और अपीलें प्रत्येक मामले के तथ्यों द्वारा शासित होनी जारी रहेंगी ।

17. अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हम विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों से सहमत हैं । इस मामले में अभिलेख पर साक्ष्य से अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया है । अभिलिखित की गई दोषसिद्धि और अधिरोपित दंडादेश विधि के उपबंधों और अभिलेख पर के साक्ष्य के अनुरूप है, अत: किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । तद्नुसार, यह अपील गुणागुण विहिन है और इसे खारिज किया जाता है ।

18. चूंकि अपीलार्थी-अभियुक्त जमानत पर है, इसलिए उसके जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं । वह दंडादेश की शेष अवधि भुगतने के लिए आज से 4 सप्ताह की अवधि के भीतर अभ्यर्पण करेगा, असफल रहने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपीलार्थी को दंडादेश की शेष अवधि भुगतने के लिए अभिरक्षा में लेने के लिए आवश्यक उपाय करेगा ।

अपील खारिज की गई ।

जस.